

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 01.10.2025 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- थाना मूसानगर पुलिस द्वारा अ0सं0 267/19 धारा 354/452/506/323/504/34 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्त मुलायम पुत्र स्व0 रामसेवक निवासी ग्राम बऊआ थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रनियाँ पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रहलाद मिश्रा पुत्र करुणा शंकर मिश्रा निवासी राजेन्द्र चौराहा फत्तेहपुर रोशनार्थ थाना रनिया कानपुर देहात उम्र करीब 32 वर्ष के कब्जे से 15 क्वार्टर देशी नाजायज इण्डिया टाईगर की शराब बरामद होने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 169/2025, धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मूसानगर पुलिस द्वारा अभियुक्त छुट्टन पुत्र नजीर अली निवासी मोहल्ला तकिया वार्ड नं0 12 कस्बा व थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात उम्र 36 वर्ष द्वारा सार्वजनिक स्थान शनिदेव मन्दिर के पास हलिया मोड सडक किनारे खड़े होकर आने - जाने वाली महिलाओ/लडकियों को देखकर अश्लील गाना गाने व फब्तियाँ कसने जिससे महिलाओ/लडकियों को शर्मिंदगी महसूस होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 81/2025 धारा 296(B) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सट्टी पुलिस द्वारा अभियुक्त सरमान सिंह पुत्र जगदीश निवासी जलालपुर थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 32 वर्ष , द्वारा रास्ते में खड़े होकर आने जाने वाली महिलाओं को देखकर अश्लील गाने गाने तथा फब्तियाँ कसने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 35/2025 धारा 296(B) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त सूरज पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम नोनापुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 20 वर्ष , अभियुक्त अभियुक्त द्वारा महिलाओं व लडकियों को देखकर गाने गाना व अश्लील हरकते करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 330/2025 धारा 296(B) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अंशु राठौर पुत्र लालाराम निवासी ग्राम रनिया थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 22 वर्ष , द्वारा महिलाओं व लडकियों को देखकर गाना व अश्लील हरकते करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 331/2025 धारा 296(B) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त देवेन्द्र राठौर पुत्र रामप्रकाश राठौर निवासी कटरा अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 45 वर्ष अभियुक्त देवेन्द्र राठौर उपरोक्त के कब्जे से 22 अदद क्वार्टर देशी शराब ब्रांड ट्विन टावर नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में सम्बन्ध में पंजीकृत कर मु0अ0सं0 332/2025, धारा 60 आबकारी अधिनियम विधिक कार्यवाही की गयी।
- जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 16 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें, थाना रनियाँ पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना शिवली पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 06 व्यक्तियों, व्यक्ति का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया ।

